संख्या 36 /2018/261/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-800(18)/2014

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 19 मार्च,2018**

विषय- जनपद न्यायाधीश कौशाम्बी के लिए श्रेणी-6 के 01 नग आवास के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-33/2018/192/सात-न्याय-9(बजट)-2018-800(18)/2014, दिनांक 12-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद न्यायाधीश कौशाम्बी के लिए श्रेणी-6 के 01 नग आवास के निर्माण हेतु रू0136.47 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन रू0136.47 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू038.95 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू097.52 लाख के सापेक्ष **रू045.71 लाख (रूपये पैंतालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 सिडको कार्यदायी संस्था नामित है । अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता यूपी सिडको इलाहाबाद को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।

3- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4- शासनादेश सं0-33/2018/192/सात-न्याय-9(बजट)-2018-800(18)/2014, दिनांक 12-03-2018 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

5- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनवरी 2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय- 01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास- 01- केन्द्र प्रायोजितयोजनायें - 01-जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>सं0- 36 /2018/261(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
5- जनपद न्यायाधीश कौशाम्बी ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
8- प्रबन्धक निदेशक यू0पी0 सिडको लखनऊ /अधिशासीय अभियन्ता, यूपी सिडकों इलाहाबाद ।
9- वित्त ई- 12/ सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in